

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का कार्यालय

नई दिल्ली

10 मार्च 2017

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन “टीडीएस/टीसीएस योजना के कार्यान्वयन” संसद में प्रस्तुत

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (सीएजी) ने नवम्बर 2015 से मार्च 2016 की अवधि के दौरान “टीडीएस/टीसीएस योजना के कार्यान्वयन” पर निष्पादन लेखापरीक्षा की। निष्पादन लेखापरीक्षा के निष्कर्षों को 8 नवम्बर 2016 को केन्द्रीय बोर्ड प्रत्यक्ष कर और उसके बाद 15 दिसम्बर 2016 को एक्जिट कांग्रेस में प्रतिवेदित किया गया और चर्चा के परिणाम रिपोर्ट में शामिल किये गये हैं। रिपोर्ट 10 मार्च 2017 को संसद के समक्ष प्रस्तुत की गई।

रिपोर्ट में प्रस्तुत महत्वपूर्ण निष्कर्ष निम्नलिखित प्रकार हैं:

प्रस्तावना

स्रोत पर काटा गया कर (टीडीएस) और स्रोत पर संग्रहीत कर (टीसीएस) आयकर विभाग (आईटीडी) के पास वह साधन हैं जिन्हें करदाताओं से सरकार को देय कर के तुरन्त और कारगर संग्रहण के लिए बनाया गया है। यह, सरकार को लेनदेन के समय ही राजस्व संग्रहण और कर अपवंचन रोकना सुनिश्चित करने में सरकार की सहायता करते हैं। टीडीएस/टीसीएस संग्रहण के नियमित अन्तर्वाह से सरकारी खातों में राजस्व का अच्छा प्रवाह सुनिश्चित होता है और राजकोष के प्रबन्धन में सहायता मिलती है। टीडीएस/टीसीएस प्रावधान करदाताओं के अलावा अन्य व्यक्तियों के ऊपर पर भी कटौती और कर जमा करने का उत्तरदायित्व प्रदान करते हैं।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

निष्पादन लेखापरीक्षा में (i) कर कटौतीकर्ताओं द्वारा दाखिल टीडीएस विवरणियों पर तत्संबंधी एओ (टीडीएस) द्वारा प्रसंस्कृत सत्यापन आदेश और (ii) निर्धारिती द्वारा

वित्तीय वर्ष (वि.व.) 2012-13 से 2014-15 के दौरान प्रसंस्कृत/समाप्त दाखिल आयकर विवरणी पर क्षेत्राधिकारी निर्धारण अधिकारी (एओ) द्वारा पूर्ण किए गए निर्धारण आदेश जिसे नवम्बर 2015 से मार्च 2016 अवधि के दौरान जांच की गई थी, के मामले कवर किये गये हैं। लेखापरीक्षा के दौरान, सीएजी ने निम्नलिखित लेखापरीक्षा अवलोकन नोटिस किये:

- 168 मामलों में देखा कि, एओ (टीडीएस) कर कटौतीकर्ताओं की चूक पर धारा 201(1ए)/206सी(7) के तहत स्रोत पर गैर/कम कटौती और संग्रहण करने के कारण ₹ 902.16 करोड़ राशि का ब्याज लगाने में विफल रहा (पैराग्राफ 2.2)।
- 311 मामलों और 343 मामलों में कर कटौतीकर्ता के प्रति स्रोत पर कर की कटौती न करने/एकत्र न करने और जहां स्रोत पर कर काटा/एकत्र किया गया था लेकिन नियत तिथि के अंदर जमा नहीं किया गया था क्रमशः धारा 271सी/271सीए और 276बी/276बीबी/ 278ए के अंतर्गत क्रमशः जुर्माना नहीं लगाया गया था और अभियोजन कार्यवाही नहीं की गई थी (पैराग्राफ 2.3 और 2.4)।
- 128 मामलों में, एओ व्यय को नामंजूर करने में विफल रहा हालांकि निर्धारिती द्वारा स्रोत पर कर की कटौती नहीं की गई थी या कटौती की गई थी किंतु इसे जमा नहीं कराया था इसके परिणामस्वरूप ₹ 2,026.42 करोड़ के कर का कम उदग्रहण हुआ था (पैराग्राफ 2.5)।
- 108 मामलों में, हमने पाया कि कटौतीकर्ता अचल सम्पत्ति की बिक्री पर स्रोत पर कर कटौती करने में विफल रहा जिसके परिणामस्वरूप ₹ 23.69 करोड़ की स्रोत पर कर कटौती नहीं हुई/कम हुई। यह इस तथ्य के बावजूद कि ₹ 50 लाख से अधिक की अचल सम्पत्ति की बिक्री/खरीद के लेन-देन की सूचना एआईआर के माध्यम से आयकर विभाग को भेजी गई थी (पैराग्राफ 2.6)।
- 369 मामलों के जहां अधिनियम के विभिन्न टीडीएस प्रावधानों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए सूचना को साझा नहीं किया जा रहा था, में निर्धारण यूनिटों तथा टीडीएस यूनिटों के बीच समन्वय की कमी थी (पैराग्राफ 2.7)
- 27 मामलों में, एओ नियमित निर्धारण के दौरान निर्धारिती की आय पर उपलब्ध सूचना का उपयोग करने में विफल रहा (पैराग्राफ 2.8)।
- सीबीडीटी द्वारा सत्यापन हेतु टीडीएस रिटर्नों के चयन हेतु मानदंड निर्धारित नहीं किया गया था (पैराग्राफ 3.3)।

- 50 प्रतिशत से अधिक सीआईटी (टीडीएस) प्रभारों में किए जाने वाले सर्वेक्षणों की संख्या के वार्षिक लक्ष्य या निर्धारित नहीं थे/उपलब्ध नहीं थे या शून्य थे और सर्वेक्षण करने के लिए लक्ष्य निर्धारित करने के लिये आईटीडी का दृष्टिकोण उचित नहीं था और अनुवर्ती कार्रवाई और मानीटरिंग भी नहीं की गई थी (पैराग्राफ 3.4)।
- आयकर विभाग कर कटौतीकर्ताओं को टीएएन का आवंटन करने से पूर्व अपर्याप्त 'केवाईसी' निष्पादित कर रहा था और इसलिए सभी टीडीएस चूककर्ताओं का पता लगाने में असमर्थ था (पैराग्राफ 3.5)।
- अप्रयुक्त चालानों की सीमा चालानों की संख्या के साथ-साथ निहित टीडीएस राशि के संदर्भ में काफी अधिक थी और अप्रयुक्त चालानों की टैगिंग की सुविधा का सभी एओज द्वारा उपयोग नहीं किया जा रहा था (पैराग्राफ 4.2)।
- समाधेय मांग की उगाही के लिए सीपीसी (टीडीएस) पोर्टल पर एओ (टीडीएस) और कर कटौतीकर्ताओं की चूककर्ता रिपोर्ट से चूकों का समाधान के लिए उपलब्ध सुविधाओं का अनुपयोग काफी अधिक था (पैराग्राफ 4.3 से 4.4)।
- फार्म 24जी में राज्य सरकार एआईएनएल द्वारा दर्शायी गई राशि राज्य एजीज द्वारा दर्शायी गई राशि से भिन्न थी जिससे जी-ओल्टास के मिलान न होने का पता चलता है (पैराग्राफ 5.2)।
- 18,703 आईएन धारकों द्वारा 24जी प्रस्तुत करने में विलम्ब थे (पैराग्राफ 5.3)।
- वर्ष 2012-13 से 2014-15 के दौरान, कुल आवंटित एआईएन का 19.3 प्रतिशत निष्क्रिय था। इसी अवधि के दौरान सरकारी कटौतीकर्ताओं के मामले में चूक, कटौतीकर्ताओं की सभी श्रेणियों द्वारा कुल चूक का 42.3 प्रतिशत थी (पैराग्राफ 5.5)।

सीएजी द्वारा की गई सिफारिशें

निर्धारण और टीडीएस इकाइयों के बीच सूचना का साझाकरण

- हमने सिफारिश की कि सीबीडीटी, टीडीएस इकाइयों और तत्संबंधी क्षेत्राधिकरण निर्धारण इकाइयों के बीच सूचना का साझाकरण सुनिश्चित करे ताकि राजस्व प्रयासों में तालमेल हो सके।

सीबीडीटी ने बताया (दिसम्बर 2016) कि सीपीसी (टीडीएस) और आईटीबीए संयोजन के माध्यम से टीडीएस इकाई और क्षेत्राधिकरण इकाई के बीच ऐसी सूचना साझाकरण की प्रक्रिया शुरू की गई है। प्रक्रिया आरंभिक चरण में है और धीरे-धीरे बेहतर सूचना देने की ओर अग्रसर होगी। (पैराग्राफ 2.8)

टीडीएस विवरणियों के सत्यापन हेतु चयन मानदंड

- हमने सिफारिश की कि सीबीडीटी सत्यापन हेतु टीडीएस विवरणियों के चयन हेतु प्रक्रिया और मानदंड निर्धारित कर सकता है।

सीबीडीटी सिफारिशों से सहमत हो गया (दिसम्बर 2016) और बताया कि नियमित निर्धारण मामलों के चयन मानदंड प्रणाली के अनुरूप कदम उठाए जाएंगे। (पैराग्राफ 3.3)

टीडीएस इकाइयों द्वारा आयोजित सर्वेक्षण

- हमने सिफारिश की कि सीबीडीटी अपने सीआईटी (टीडीएस) प्रभागों के लिए किए सभी टीडीएस इकाइयों में जाने वाले सर्वेक्षणों के लिए वास्तविक लक्ष्य निर्धारित कर सकता है तथा तत्पश्चात कर क्षेत्र में कवर न किए गए कर्तव्यकर्ताओं को शामिल करके कर आधार के विस्तारण हेतु इसे समय पर अंतिम रूप दिया जा सकता है।

सीबीडीटी ने सर्वेक्षण करने हेतु वास्तविक लक्ष्य निर्धारण का निर्णय लेने पर सहमति जताई (दिसम्बर 2016)। (पैराग्राफ 3.4)

टीएन के आवंटन हेतु “अपने ग्राहक को जानिए” में कमियाँ

- हमने सिफारिश की कि सीबीडीटी 'केवाईसी' में कमियों की जाँच कर सकता है तथा पर्याप्त केवाईसी के बिना आयकर विभाग टैन जारी न करे ताकि कर चूककर्ताओं का पता लगाया जा सके।

सीबीडीटी ने बताया (दिसम्बर 2016) कि सीबीडीटी टैन आवंटन में पैन को अनिवार्य बनाने पर विचार कर रहा है। (पैराग्राफ 3.5)

अप्रयुक्त चालान, निपटान योग्य माँग की वसूली और कर कटौतीकर्ताओं की चूककर्ता रिपोर्टों के समाधान से संबंधित मामले

- हमने सिफारिश की कि सीबीडीटी यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठा सकता है कि सभी एओज़ अप्रयुक्त चालान, निपटान योग्य माँग की वसूली और कर कटौतीकर्ताओं की चूककर्ता रिपोर्ट से चूकों के समाधान के मामलों का पता लगाने के लिए सीपीसी (टीडीएस) पोर्टल में उपलब्ध सुविधाओं का उपयोग कर सकते हैं।

सीबीडीटी सुझाव के साथ सहमत हुआ (दिसम्बर 2016) और कहा कि इस संबंध में उचित कार्रवाई की जायेगी। (पैराग्राफ

4.2 से 4.4)

गैर-विवादित समाधेय माँग की शीघ्र वसूली वाले मुद्दे

- हम सिफारिश करते हैं कि सीबीडीटी समाधेय माँग की शीघ्र वसूली के लिए प्रभावी कदम उठा सकता है चूँकि यह किसी भी विवाद से मुक्त है।

सीबीडीटी ने कहा (दिसम्बर 2016) कि सीपीसी (टीडीएस) कि निर्धारण अधिकारियों द्वारा माँग की शीघ्र वसूली के लिए जानकारी देने हेतु क्षेत्रीय कार्यालय के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम बनाया है। इसने कटौतीकर्ताओं को उनकी माँगों के समाधान की भी जानकारी दी है।

(पैराग्राफ 4.3)

राज्य सरकार एआईएन और राज्य महालेखाकारों द्वारा बताए गए टीडीएस का गैर-मिलान

- हमने सिफारिश की कि सीबीडीटी राज्य महालेखाकार (एजीज) द्वारा कर भुगतान और फार्म 24जी के माध्यम से एआईएन धारक द्वारा सूचित किए गये टीडीएस का पुनर्मिलान सुनिश्चित कर सकता है।

सीबीडीटी ने कहा (दिसम्बर 2016) कि अवलोकनों पर ध्यान दिया गया है और इस क्षेत्र का उचित विश्लेषण क्षेत्रीय कार्यालयों को अभियोज्य सूचना उत्पन्न करने हेतु सीपीसी स्तर पर किया जायेगा।

(पैराग्राफ 5.2)

फार्म 24 जी के प्रस्तुतीकरण में विलम्ब

- हमने सिफारिश की कि सीबीडीटी एआईएन धारकों द्वारा फार्म 24 जी को फाईल करने में बेहतर अनुपालन के लिए कदम उठा सकता है ताकि समय पर तिमाही विवरण फाईल करने में डीडीओ को सक्षम बनाया जा सके।

सीबीडीटी ने कहा (दिसम्बर 2016) कि फार्म 24जी के फाइल करने में विलम्ब का संबंधित टीडीएस ईकाई द्वारा पता लगाया जाना चाहिए। तथापि, सीपीसी आवश्यक डाटा या ऐसी अन्य सहायता प्रदान करेगा जैसे कि एओज को यह कार्य करने में आवश्यकता हो।

(पैराग्राफ 5.3)

निष्क्रिय एआईएन धारक

- हमने सिफारिश की कि आईटीडी निष्क्रिय एआईएन धारकों के लिए कारणों की समीक्षा कर सकता है और फार्म 24जी के प्रस्तुतीकरण की बेहतर निगरानी के लिए उन्हें हटा सकता है जो अब लेखा अधिकारी का कार्य नहीं कर रहे हैं।

सीबीडीटी ने कहा (दिसम्बर 2016) कि अवलोकनों पर ध्यान दिया गया है और इस संबंध में सभी संभव कदम उठाए जाएंगे।

(पैराग्राफ 5.4)